

सेल, जोन-1,  
कानपुर।

महोदय,

प्राथी द्वारा भेसर्स पलोमा रिजल्टी एलएलपी में निर्माण की प्रगति एवम यूज ग्रुप हाउसिंग के लिए परिसर नम्बर 7/98 एवम 7/99 स्टैन्डिंग फी-होल्ड प्लॉट संख्या 11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या 3ए, खलासी लाईन, कानपुर में निर्माण हेतु आपके विभाग में नक्शा दाखिल किया गया है। उक्त हेतु आप द्वारा विभिन्न सरकारी निकायों एवम निगमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग गयी है। जिसमें से ज्यादातर की प्राप्ति हो गयी है और शेष के लिए प्रयासरत है। आपके आश्वस्त करते हैं कि शेष NOC प्राप्त होते ही आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

आपसे विनम्र निवेदन है कि नक्शा स्वीकृत कर प्राथी फर्म को उपलब्ध कराने की कृपा करें, निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

सादर निवेदित।

प्राथी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र जैन)  
पार्टनर मेसर्स पलोमा रिजल्टी एलएलपी,  
60/52, ग्यागंज, कानपुर-208001.  
मो0-9839030535

[illegible][illegible]

जहाँ से बहुत स्थलांतरित साधक के पास से गुज़र गया कि आसानी से मर्ग में निर्यात हो सके। श्री लालू प्लॉट नं०-11, 11ए, 12 व 13 योजना संख्या-35, विधिक नगर, जवाहीरी लाल जैन आनंदपुर अमर का जन्मस्थान था। सुन्धार का साक्षात् सिमेरी (Simetari) (अर्थात् (Arakab Cemetery)) का नगर नगर की दक्षिण सीमा से निकटतम दूरी लगभग 1810 मीटर है जो कि केन्द्रीय सुरक्षित स्मारक के विनियमि क्षेत्र से दूर है (11mils away from the regulated area of centrally protected monument)।

अथर्ववेद निरीक्षण जात्या अथर्व नाम पालयाम् पुत्र अर्थादथर्व की दा ज प्रविष्ट ममले इव समस्त  
 अथर्वनाम आत्मको अथर्वसि मा म म रत्न के मित ममले अर्थात् अथर्वानि एव ममले अथर्वसि  
 इत्येतावत् त्वारा अथर्वनाम सधाम् प्राथितवती आत्मना अथर्वानात् अथर्वानात् ममले नाम ममले  
 निष्क ममले अथर्वनाम ममले अथर्वनाम ममले अथर्वनाम ममले अथर्वनाम ममले अथर्वनाम ममले



10

The following members were present in the meeting for our Paloma Grandeur Construction, Kanpur.

1. Shri M. C. Jain, Chairman
2. Shri Abhishek Agarwal, Partner
3. Shri Rajiv Bajpai, Architect
4. Shri Nikhil Kaushal, Architect
5. Shri R. K. Sharma

During the meeting, it was discussed that the following works are to be undertaken and to finalise for the project on priority.

- a) Payment to be made in favour of Green Building, as demanded
- b) Civil Contractors are required for the Basement who are having the experience of more than ten years in the construction of multi storied building/apartment's basement.
- c) Costing of basement level 2, 2.5 and 3 with the minimum investment and maximum time saving to gain profit (including retaining wall, compaction/excavation and RCC Slab.
- d) Costing of retaining wall and construction for two basements are to be calculated separately.
- e) To review the front and backside of elevation as well as canopy for the best view, in the photo and drawing.
- f) Staff to be posted at Paloma Site.
- g) To provide the Infrastructure for staff members at site for smooth working (Table/Chairs and internet facility).
- h) Electric connection for 5 KW is required for site office
- i) Drinking water facility have to provide for the employees at site
- j) To barricade the project office for entrance of unwanted persons/outsideers.
- k) To facilitate the site office work, deputed staff members will have to ensure coordination with each other and update day to day work to the higher authorities

- l) To provide the attendance facility at site for staff members
- m) To appoint the agency for preparation of BOQ for our Paloma project

This is for an early action to all concerned.



( Shri R. K. Sharma)  
Assistant

( Shri Nikhil Kaushal)  
Architect

( Shri Rajiv Bajpai)  
Architect

( Shri Abhishek Agarwal)  
Partner

( Shri M. C. Jain)  
Chairman

The following members were present in the meeting for our Paloma Grandeur Construction, Kanpur.

1. Shri M. C. Jain, Chairman
2. Shri Abhishek Agarwal, Partner
3. Shri Rajiv Bajpai, Architect
4. Shri Nikhil Kaushal, Architect
5. Shri R. K. Sharma

During the meeting, it was discussed that the following works are to be undertaken and to finalise for the project on priority.

- a) Payment to be made in favour of Green Building, as demanded
- b) Civil Contractors are required for the Basement who are having the experience of more than ten years in the construction of multi storied building/apartment's basement.
- c) Costing of basement level 2, 2.5 and 3 with the minimum investment and maximum time saving to gain profit (including retaining wall, compaction/excavation and RCC Slab.
- d) Costing of retaining wall and construction for two basements are to be calculated separately.
- e) To review the front and backside of elevation as well as canopy for the best view, in the photo and drawing.
- f) Staff to be posted at Paloma Site.
- g) To provide the Infrastructure for staff members at site for smooth working (Table/Chairs and internet facility).
- h) Electric connection for 5 KW is required for site office
- i) Drinking water facility have to provide for the employees at site
- j) To barricade the project office for entrance of unwanted persons/outsideers.
- k) To facilitate the site office work, deputed staff members will have to ensure coordination with each other and update day to day work to the higher authorities

- l) To provide the attendance facility at site for staff members
- m) To appoint the agency for preparation of BOQ for our Paloma project

This is for an early action to all concerned.

( Shri R. K. Sharma)  
Assistant

( Shri Nikhil Kaushal)  
Architect

( Shri Rajiv Bajpai)  
Architect

( Shri Abhishek Agarwal)  
Partner

( Shri M. C. Jain)  
Chairman



# उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के आधान वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र के लिए आवदन

(उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित), 1976 की धारा 5 (1) के आधीन राज्य सरकार द्वारा चिह्नित)

सेवा में,

प्रमाणीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर।

महोदय,

मैं/हम पुत्र श्री

निवासी ग्राम

डाक

तहसील

जिला अपने निजी कास्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/चाहते हैं, जो नीचे

दिये गये विवरण के अनुसार तहसील

जिला

में पड़ने वाली

मेरी/हमारी भूमि के प्लॉट सं०

रकबा

में स्थिति है

क्र० सं०	वृक्ष की प्रजाति	छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी०)	वृक्ष को गिराने / हटाने का कारण
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के लुप्त पश्चात् आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व प्रजाति

सं० के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

3. मैं/हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा/गिरायेगे और हटायेगे या मैं/हम श्री

पुत्र श्री

निवासी ग्राम

डाकघर

तहसील

# उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के आधोन वृक्ष गिराने का अनुज्ञा लाने का लिए आवदन

(उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित), 1976 की धारा 5 (1) के आधीन राज्य सरकार द्वारा चिन्हित)

सेवा में,

प्रमाणीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

कानपुर।

महोदय,

मैं / हम पुत्र श्री

निवासी ग्राम डाक तहसील

जिला अपने निजी कास्त के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ / चाहते हैं, जो नीचे

दिये गये विवरण के अनुसार तहसील जिला में पड़ने वाली

मेरी / हमारी भूमि के प्लॉट सं० उकबा में स्थिति हैं

क्र० सं०	वृक्ष की प्रजाति	घाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (सेमी०)	वृक्ष को गिराने / हटाने का कारण
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. मैं / हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात् आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व प्रजाति

सं० के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ / देते हैं।

3. मैं / हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा / गिरावेंगे और हटावेंगे या मैं / हम श्री

पुत्र श्री

निवासी ग्राम डाकघर तहसील